प्रेस नोट

भोपाल, दिनांक 25.2.2010

वित्त मंत्री श्री राघवजी ने आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2010-2011का बजट प्रस्तुत किया गया है । वर्ष 2010-2011के प्रस्तुत बजट में मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है : -

- वर्ष 2010-11 के बजट में कुल व्यय रुपये 51507.31करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2010-11के लिये रुपये 1580.56 करोड़ का राजस्व आधिक्य है।
- वर्ष 2010-11का राजकोषीय घाटा रुपये 8003.03 करोड़ होना संभावित है जिसका जी. एस.डी.पी. से अनुपात 4 प्रतिशत है।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अनुमानित।
- वित्तीय वर्ष 2010-11की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां रुपये 43443.82 करोड़ है, जिनमें राज्य के स्वयं के कर की राशि रु. 18670.18 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा रुपये 11,047.41 करोड़, करेतर राजस्व रुपये 4322.46 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त अनुदान रुपये 9403.77 करोड़ शामिल है।
- वित्तीय वर्ष 2010-11में वर्ष 2009-10के राज्य के स्वयं के कर राजस्व के बजट अनुमानों से 16.14 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष 2010-11में राजस्व व्यय रुपये 41863.26 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2009-10के बजट अनुमान रु. 38262.12 करोड़ से रुपये 3601.14 करोड़ अधिक है।
- वर्ष 2010-2011का प्रारंभिक शेष रुपये (-) 191.02 करोड़ अनुमानित है। वर्ष के संव्यवहार अनुमानित रुपये (+) 63.28 करोड़ है इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध वित्तीय संव्यवहार रुपये (-) 127.74 करोड़ पर समाप्त होना अनुमानित है।
- वर्ष 2009-10के बजट आयोजना व्यय रुपये 19028.03 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2010-11में कुल आयोजना व्यय रुपये 21939.12 करोड़ प्रावधानित है। जो गत वर्ष से 15.30 प्रतिशत अधिक है
- आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10के बजट अनुमान रुपये 3869.30 करोड़ से बढ़कर रुपये 4090.77 करोड़ प्रावधानित है, जो कि बजट अनुमान वर्ष 2009-10 से 5.72 प्रतिशत अधिक।
- अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10के बजट अनुमान रुपये 2496.85 करोड़ से बढ़कर रुपये 2748.90 करोड़ प्रावधानित है, जो कि बजट अनुमान वर्ष 2009-10से 10.09 प्रतिशत अधिक।

राजकोषीय स्थिति

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात 4.00 प्रतिशत।
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व आधिक्य का अनुपात 0.79 प्रतिशत।
- ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत 11.63।

अधोसंरचना विकास

- वर्ष 2001-02 में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2935 मेगावाट थी जो वर्ष 2009-10 में बढ़कर 6081मेगावाट हो गई है।
- ऊर्जा विभाग हेतु रुपये 3220.46 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
- सड़कों के निर्माण एवं संधारण हेतु (मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना को शामिल करते हुये) रू. 2869 करोड़ का प्रावधान
- मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु रू. 200 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिये राज्यांश हेतु रुपये 200 करोड़ का प्रावधान
- प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर में रेपिड मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सर्वे हेतु प्रावधान
- 3316 कि.मी. सड़क निर्माण एवं उन्नयन का लक्ष्य
- 1,84,000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता के विस्तार का लक्ष्य
- नगर विकास योजनाओं को तैयार करने के लिये रुपये 5 करोड़ का प्रावधान
- जे. एन. एन. यू. आर. एन., आई. एच. एस. डी. पी., यू. आई. डी. एस. एस. एम. टी . एवं अन्य हेतु रू 520 करोड़ का प्रावधान

ग्रामीण विकास

- ग्रामीण विकास के लिये गत वर्ष की तुलना में 49.6 प्रतिशत अधिक प्रावधान
- रोजगार गारन्टी योजना में राज्यांश हेतु रु. 584 करोड़
- बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड हेतु रु. 475 करोड़ का प्रावधान
- ग्रामीण आजीविका योजना हेतु रु. 73 करोड़ का प्रावधान
- इन्दिरा आवास योजना हेतु रुपये 487 करोड़
- जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु 100 करोड़
- मध्यान्ह भोजन में भोजन बनाने की लागत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिये क्रमशः 70 एवं 100 प्रतिशत की वृद्धि

स्थानीय निकायो को सहायता

- तृतीय राज्य वित्त आयोग की वित्तीय अनुशंसाओं पर अमल में 498 करोड़ का अधिक प्रावधान
- पंचायतों को रूपये 921.29 करोड़ की सहायता
- नगरीय निकायों को रूपये 2177.30 करोड़ की सहायता

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना हेतु 290 करोड़ का प्रावधान
- फसल बीमा योजना हेतु रुपये 61 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु रुपये 183 करोड़ का प्रावधान

- कृषकों को सिंचाई उपकरणों के लिये अनुदान हेतु रुपये 17 करोड़ का प्रावधान
- मेक्रोमैनेजमेन्ट योजना हेतु रुपये 119 करोड़ का प्रावधान
- राष्ट्रीय तिलहन एवं दलहन विकास कार्यक्रम हेतु रुपये 75 करोड़ का प्रावधान
- बलराम तालाब योजना हेतु रुपये 25 करोड़ का प्रावधान
- जबलपुर में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के भवन के लिये रु. 2 करोड़ का प्रावधान
- ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय के भवन के लिये रू. 5 करोड़ का प्रावधान
- खाद्यान्न उपार्जन पर बोनस हेतु इस वर्ष रू. 300 करोड़ का प्रावधान
- अल्पकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज दर घटा कर अगले कृषि वर्ष से 3 प्रतिशत किया जाना। इसके लिये रुपये 100 करोड़ का प्रावधान ।

शिक्षा

- शिक्षा के लिये कुल रुपये 6009 करोड़ का प्रावधान
- उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहन हेतु डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी नवीन छात्रवृत्ति योजना
- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्यांश के रुप में 799 करोड़ का प्रावधान
- गांव की बेटी योजना हेतु रुपये 17 करोड़ का प्रावधान
- मां सरस्वती उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ
- अधिप्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 8.23 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र पर व्यय
- 14 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना
- निःशुल्क गणवेश वितरण के लिये रुपये 80 करोड़ का प्रावधान
- निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण के लिये रुपये 50 करोड़ का प्रावधान

स्वास्थ्य

- स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु रुपये 1878 करोड़ का प्रावधान
- जननी सुरक्षा योजना हेतु रुपये 202 करोड़ का प्रावधान
- दीन दयाल अंत्योदय उपचार योजना हेतु रुपये 29 करोड़ का प्रावधान
- प्रदेश के 10 जिलों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ राशि 60 करोड़
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिये राज्यांश रू. 127.09 करोड़ का प्रावधान

महिला एवं बाल कल्याण

- समेकित बाल संरक्षण योजना हेतु रुपये 22.02 करोड़
- पोषण आहार हेतु रू. 744.55 करोड़ का प्रावधान
- लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु रू. 302 करोड़ का प्रावधान
- छात्राओं के लिये साईकल हेतु रू. 94 करोड़ का प्रावधान
- कन्यादान योजना हेतु रू. 28 करोड़ का प्रावधान

कर्मचारी कल्याण

- वेतन एरियर्स की प्रथम किश्त के भुगतान हेतु रुपये 1017 करोड़
- कर्मचारियों एवं पेंशनरों को दिनांक 01.04.2010 से 3 प्रतिशत एवं 01.07.2010 से 2 प्रतिशत मंहगाई भत्ते / राहत की अतिरिक्त किश्त
- कर्मचारियों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण योजना

सुशासन एवं संसाधन विकास

- शासकीय भुगतान की व्यवस्था इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से करने की योजना

कानून एवं व्यवस्था

- पुलिस बल में 1500 एवं विशेष शाखा में 331 नवीन पदों का निर्माण
- गृह विभाग के बजट में गतवर्ष की तुलना में 19.36 % वृद्धि
- पुलिस थानों के सुदृढ़ीकरण के लिये फर्नीचर एवं स्टेशनरी हेतु रुपये 3 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान

अन्य योजनायें

- वर्ष 2010-11 बांस वर्ष के रुप में बनाया जायेगा।
- लगभग 5 करोड़ बांस के पौधों का रोपण
- मजदूर सुरक्षा योजना हेतु रू. 20 करोड़ का प्रावधान
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हेतु रुपये 777 करोड़ का प्रावधान
- बुन्देलखण्ड पैकेज के तहत पृथक मांग का सृजन एवं 683.61 करोड़ का प्रावधान
- कम्प्यूटरीकृत समेकित जांच चौकियों के लिये भू-अर्जन हेतु रुपये 55 करोड़ का प्रावधान